(b) The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes shall be 162.5 centimetres for males and 150 centimetres for females.	
(ii) Chest: (a) The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir shall be 78 centimetres (minimum 5 centimetres expansion).	
(b) The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 centimetres (minimum 5 centimetres expansion).	
(B) Medical Standards:	
(a) Eye Sight: The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e without wearing of glasses.	
(b) The candidates shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision.	
(C)The candidates shall be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich - Green Lantern Tests and they shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.	

(11)
Not applicable

2. Desirable: One year experience in the field of Radiographer from a recognised Hospital or Institute.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation committee (for considering confi	rmation) Not applicable.
consisting of :-	
(1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force — Chairman	
(2) Chief Medical Officer (Selection Grade), Central Reserve Police Force – M	lember
(3) Senior Medical Officer or Medical Officer or Medical officer	
(Veterinary) Central Reserve Police Force – M	1ember

[ F. No. R.II.1/2019. Med. I – CRPF/MHA (Pers.II)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि.76.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, हिंदी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2018 है |
  - (ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. **अनुप्रयोग.** ये नियम इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
- **3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |
- 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी |

- **6. शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |
- 7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं |

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56100– 177500)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति हुए व्यक्तियों हेतु 2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक	संमिश्रित पद्धति : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)-सह- प्रोन्निति:

संविदा शामिल है)/ प्रोन्नति

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 अथवा समतुल्य पदों पर नियमित नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
  - (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री

### अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

#### अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ,हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री

#### अधवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी के साथ,हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री

#### अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैल्कल्पिक विषय के साथ, हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री

(II) हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने अथवा अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी में अथवा विपर्ययेन अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

### अथवा

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी निकाय या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में ऐसे विभागीय ज्येष्ठ अनुवादक, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो, और प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, पर भी अन्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर उनके चयनित हो जाने पर पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
विभागीय पुष्टि समिति:-		पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग
1. उप महानिदेशक (पी) अस्पताल प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार		से परामर्श आवश्यक है।
कल्याण मंत्रालय	– अध्यक्ष	
2. निदेशक/उप सचिव, राजभाषा, स्वास्थ्य एवं परिवार		
कल्याण मंत्रालय	- सदस्य	
3. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल	– सदस्य	

[सं. ए.11018/09/2008-आरआर]

जी.पी. सामंत. अवर सचिव

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th February, 2019

**G.S.R.76**.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi Hindi Officer (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (O.L.)in Safdarjung hospital, New Delhi, namely:—

### 1. Short title and commencement.—

- (a) These rules may be called the Assistant Director (O.L) in Safdarjung hospital, New Delhi, Recruitment Rules, 2018.
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the post specified in Column 1 of the schedule annexed to these rules.
- **3. Number of post, classification, level in the pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Disqualification.— No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
  - shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of the	Number of	Classification	Level in pay	Whether selection	Age limit for direct
post	posts		matrix or pay	post or Non-	recruits
			scale	selection post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	01*(2018)	General Central	Level 10 in the	Not applicable	Not applicable
Director (OL)	*subject to	Service, Group	pay matrix (Rs.		

variation dependent on	'A', Gazetted, Non-Ministerial	56100-177500)	
workload.			

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees	By Deputation (including short term contract)/ promotion

In case of recruitment by promotion	If a Departmental Promotion Committee exists, what	Circumstances in which
/deputation/ absorption grade from which promotion /deputation	is its composition	Union Public Services Commission is to be
which promotion /deputation /absorption to be made		consulted in making
/absorption to be made		recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite Method :Deputation	Departmental Confirmation Committee:-	Consultation with Union
(including short term contract) plus	Deputy Director General (P) Hospital Division	Public Service
Promotion:	Ministry of Health & F.WChairman	Commission is
Officers under the Central or State	Director/Deputy Secretary, Official Language,	necessary for filling up
Government or Union Territories or	Ministry of Health & F.W -Member	of post
Autonomous or Statutory	Additional Medical Superintendent, Safdarjung	
Organizations or Public Sector	Hospital -Member	
Undertakings or Universities or		
recognized research institutions:		
(a)(i) holding analogous posts on		
regular basis in the Parent cadre/department;		
or		
(ii) with three years service in the		
grade rendered after appointment		
thereto on a regular basis in Level 7		
in the pay matrix or equivalent in		
the parent cadre or department;		
and		
(b) possessing the following		
education qualifications and		
experience:		
(I) Master degree of a		
recognized University		
in Hindi with English		
as a compulsory or		
elective subject or as		
the medium of		
examination at the		
degree level;		
Or		
Masters degree of a recognized		
University in English with Hindi as		
a compulsory or elective subject or as the medium of examination at		
the degree level;		
Or		
Master's degree of a recognized		
University in any subject other than		

Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Or

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

Oı

Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

(II) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or PSU or Universities or recognized research or educational institution.

Or

Three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Uts. Or Autonomous Body or Statutory Organizations or PSU or Universities or recognized research or educational institution.

Departmental Senior Translator in Level 7 in the pay matrix with 3 years regular service in the grade and possessing the educational qualification and experience prescribed for deputationists will also considered along with the outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion.

Note-2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department

shall ordinarily not to exceed three
years. The maximum age limit for
appointment by deputation
((including short term contract)
shall be Not exceeding 56 years as
on the closing date of receipt of
applications.

[No. A. 11018/09/2008-RR] G.P. SAMANTA, Under Secy.

# नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

- **सा.का.नि.77.** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (हिंदी अनुवादक और किनष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में किनष्ठ अनुवादक एवं ज्येष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (क) इन नियमों का नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक और ज्येष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2018 है |
  - (ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. लागू होना.— ये नियम इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 1 में विनिनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- **3. पर्दों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर वे होंगे जो इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |
- 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी |

- **6. शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |
- 7. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
नाम			में स्तर या	अचयन पद	लिए आयु सीमा
			वेतनमान		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ	3*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं
अनुवादक	(2018)	सेवा, समूह 'ख'	(35400–		(टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी
	(== := )	अराजपत्रित,	112400)		किए गए अनुदशों और आदेशों के
		अननुसचिवीय	में लेवल-6		अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष